



Reg. No: 62/UDR/2001-02

MATRUTVA SEVA SANSTHAN

मातृत्व सेवा संस्थान



ANNUAL REPORT

2017
-2018

Follow us :-



Call us:-  8107524366
 9783224366

 **Reg. Office :**

F-142, Central Area, Reti Stand
Near Awarimata Temple
Udaipur (Raj) 313001

 **Head Office :**

4, Kirti Sadan, Near Sub City Center
Gariyawas, Udaipur (Raj) 313001

संस्थान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र

क्रमांक : 62 / उदयपुर / 2001–02

(राजस्थान सोसायटी एकट की धारा अधिनियम 1985 के अन्तर्गत पंजीयकृत)

आयकर सोसायटी एकट की धारा 80 जी के अधीन छूट

We have exemption under Section 80G with No .-AA/UDR/2012-2013/3197

Dated 18-12-2012 with lifetime validity.

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(ए) के अधीन संस्थान का पंजीयन

We have exemption under Section 12AA Reg. No. - AA/UDR/2012-2013/3197

Dated 18-12-2012 with lifetime validity

**Organisation Permanent Accountant Number
(PAN NO.)** **A A A T M 8 1 1 4 F**

Organisation Bank Name and Account Number and Details:

Bank Name

PUNJAB NATIONAL BANK

A/C. No

0 4 5 8 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 7 7

IFSC Code

P U N B 0 0 4 5 8 0 0

Branch Name

Town Hall, Udaipur, 313001

मातृत्व सेवा संस्थान, उदयपुर

संस्थान कार्यकारिणी एवं सदस्य सूची

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री चन्द्र प्रकाश सालवी	अध्यक्ष
2.	श्री हर्षल डागलिया	सचिव
3.	श्री ललित माली	कोषाध्यक्ष
4.	श्री दिनेश टेलर	संस्थान सदस्य
5.	श्री अरविन्द सालवी	संस्थान सदस्य
6.	श्री राजेश माण्डावत	संस्थान सदस्य
7.	श्री राजेश शर्मा	संस्थान सदस्य

संस्थान कार्यक्षेत्र

जिला – उदयपुर

उदयपुर जिले में गरीब एवं वंचित वर्ग जो ग्रामीण एवं शहर से सटे हुए गांव व कस्बों एवं कच्ची बस्तीयों में निवास कर रहे हैं लोगों को लागे लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से जोड़ कर उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए जागरूक करना एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। जिसके तहत मुख्य रूप से महिला विकास के कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया गया है।

तहसील – खैरवाड़ा

(ग्राम पंचायत गड़ावत

गांव – गड़ावत, कलावत गोरिम्बा)

(ग्राम पंचायत किकावत

गांव – आंगलियाँ, घाटा, भैमात, गेहा, सोमावत)

(ग्राम पंचायत लराठी

गांव – पालिया, लराठी, भूदर, पादेड़ी)

तहसील – गिर्वा

(ग्राम पंचायत कलड़वास)

गांव – आम्बा का खादरा, एकलिंगपुरा)

तहसील – मावली

(ग्राम पंचायत वडीयार, गांव – मोरड़ी)

(ग्राम पंचायत सिन्धू गांव – माण्डूथल)

तहसील – गोगुन्दा

(ग्राम पंचायत-मोड़ी, गांव – मोड़ी)

(ग्राम पंचायत पाटिया, गांव – पाटिया)

(पंचायत समिति-गोगुन्दा)

तहसील – धरियावाद

जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों द्वारा ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तीयों में निवास कर रहे लोगों को सेवा कार्य से लाभान्वित किया जा सके।

संस्थान परिचय-

मातृत्व सेवा संस्थान, उदयपुर एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संस्थान है, जो राजस्थान सोसायटी एक्ट की धारा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 62/उदय/2001–02 है। संस्थान पिछले 17 वर्षों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण अध्ययन, विश्लेषण एवं अनुभव के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार एवं महिला सशक्तिकरण जैसी गतिविधियों कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने को लेकर लोकहित हेतु प्रयासरत् है।

संस्थान की सोच

“मातृत्व” का यह मानना है कि हर व्यक्ति में अपने जीवन के विकास करने की क्षमता छीपी हुई होती है परन्तु जागृति, मार्गदर्शन और प्रेरणा की कमी के कारण वह स्वयं अपनी क्षमताओं का सम्पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यदि जागृति, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा द्वारा इनकी क्षमताओं को अभारा जाए तो इनका विकास सम्भव है।

संस्थान के उद्देश्य-

- सामाजिक पर्यावरण सुधार हेतु जन चेतना जागृत करना।
- शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करना।
- शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार प्रदान करना जिससे की वह बालश्रम से मुक्त हो सके एवं स्वयं का व्यवसाय कर सकें।
- स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचा कर उन्हें लाभान्वित करना।
- जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर पिछड़े एवं गरीब वर्गों हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण अस्थाई आवासीय केन्द्रों की स्थापना करना।
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।
- सरकार द्वारा चलाए जा रहे आय संबद्धन कार्यक्रम को संस्था के माध्यम से लोगों तक पहुंचना जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें।
- बैंक सहकारी समिति एवं सरकारी विभागों के साथ समन्वयन बिड़ाने हेतु संबंध स्थापित करना तथा बनने वाली संबंधित योजनाओं में जन भागीदारी को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पिछड़े एवं गरीब वर्गों हेतु कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- हस्तकला में निर्मित लोगों की खोज कर उनके उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों, मेलों, आवासीय एवं गैर आवासीय शिविरों का आयोजन करना। साथ ही हस्तकला में निर्मित लोगों की खोज कर उनके आर्टिजन कार्ड बनवाने का कार्य करना।

जिला-राजसमंद एवं चित्तोड़गढ़

संस्थान द्वारा समय-समय पर जिला-उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तोड़गढ़ जिले में भी संस्थान अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने हेतु सर्वप्रथम सर्वे का कार्य कर रही है जिससे वहां के आवश्यकता वाले वर्गों को आगे लाकर उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया जा सके।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2017–2018

संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

हस्तकला सहयोग शिविर में भाग लिया

संस्थान द्वारा संस्थान अध्यक्ष श्री सी.पी सालवी द्वारा हस्तकला सहयोग शिविर में गाँव—आकोला, चित्तोडगढ़ में भाग लिया जिसमें मुख्य रूप से हस्तशिल्पीयों के साथ किस तरह कार्य को किया जाये। उनके किसी तरह आटिजेन्ट फार्म को भरा जाये के बारें में जानकारी ली गई। जिससे संस्थान अध्यक्ष द्वारा संस्थान के कार्यकर्ताओं को हस्तशिल्प विभाग से सम्पर्क कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हस्तशिल्प जो हस्तकला में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ऐसे हस्तशिल्प व्यक्तियों की खोज कर उन्हें हस्तशिल्प विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारें में जानकारी प्रदान करना। जिससे की वह हस्तशिल्पों की खोज कर उनके संस्थान द्वारा फार्म भरवाये गये। फार्म में एक फोटो, आधार की कॉपी एवं बैंक पास बुक की डिटेल फर्ट की फोटो कॉपी की डिटेल ल गाई गई। इसके लिए संस्थान की टीम को ऐसे क्षेत्रों में भेजा गया जहां ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्प में लोग कार्य कर रहे हैं। संस्थान द्वारा बॉस एवं बैत कार्य, मिनीचर पेन्टिंग कार्य एवं मिट्टी के बर्तन जो हाथ से निर्मित किये जाते हैं एवं साथ ही छपाई कार्य करने वालों के फार्म भरवाये गये।

संस्थान अध्यक्ष द्वारा हस्तशिल्प विभाग, उदयपुर द्वारा जागरूकता शिविर आकोला, चित्तोडगढ़ में अपनी भागीदारी निभाई जिसमें आर्टिजन को ज्यादा से ज्यादा विभाग द्वारा किस प्रकार लाभा पहुंचाया जा सके के बारें में बताया गया। वहां लोगों के फार्म भरवाने का कार्य किया गया। ए.लाई.सी. विभाग द्वारा आर्टिजन के लिए बीमा पॉलिस के बारें में जानकारी प्रदान करवाई गई जिसमें भी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी भूमिका निभाई गई।

मातृत्व प्रशिक्षण केन्द्र

संस्थान द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षणों के प्रति जु़़ाव को लेकर कामयाबी एवं कमजोर गरीब एवं वंचित वर्ग की महिलाओं हेतु संस्थान द्वारा मातृत्व प्रशिक्षण केन्द्र, सैन्द्रल एरिया, आवरी माता कच्ची बस्ती, उदयपुर में





संचालन किया जिसके तहत महिलाओं को यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया। जिसके तहत संस्थान द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी केयर आदि प्रशिक्षण दिये गये। प्रशिक्षण की अवधि 3 व 6 माह की रखी गई। यह प्रशिक्षण 2 समूह में चलाए गई। जिसके तहत महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्वयं स्तर पर सिलाई कार्य को प्रारंभ भी कर दिया गया है। 20–20 महिलाओं के समूह ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

निःशुल्क तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण संचालन

संस्थान द्वारा मातृत्व प्रशिक्षण केन्द्र, सैन्ट्रल एरिया आवरी माता कच्ची बस्ती पर निःशुल्क बुनाई एवं हाऊस वायरिंग एवं मोटर वाईडिंग प्रशिक्षण आरंभ किया गया। कम्यूनिटी पॉलेटेक्नीक संकाय के सहायक परियोजना अधिकारी श्री सुधीर कुमावत ने संस्था व प्रशिक्षण संबंधी जानकारी देते हुए युवक/युवतियों से स्वरोजगार की ओर अग्रसर होने का आहवान किया। साथ ही परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

निःशुल्क बुनाई प्रशिक्षण में प्रशिक्षिका श्रीमति भगवती शर्मा ने अनुदेशक पद पर 20 बेरोजगार युवतियों को बुनाई प्रशिक्षण से प्रशिक्षित किया। यह प्रशिक्षण दिनांक (3 माह) तक चलाया

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम 2017-2018



मातृत्व सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा “औषधीय पौधों का पौधारोपण कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन” एवं “वर्मी कम्पोस्ट बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम” पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग एवं सेवा मन्दिर के समन्वयन से को ग्राम पंचायत कलडवास के पंचायत भवन में आयोजित किया गया।

पहले किसानों द्वारा जो खेती की पद्धति उपयोग में लायी जाती थी उसमें गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग बहुतायत से किया जाता था। हरित क्रान्ति के आगमन से रसायनिक खादों का उपयोग एकाएक बढ़ जाने से रसायनिक किट नासकों का उपयोग फसलों में अंधाधुन्ध से बढ़ गया। फसलों को किटों से मुक्ति तो मिली परन्तु उनकी गुणवत्ता एवं स्वाद में काफी फर्क पड़ गया मित्रा किट जैस मेढ़क, सांप, केचुओं की कमी भी खेतों में दिखाई पड़ने लगी आबादी के नजदीक वाले क्षत्रों में केचुएं अधिक मात्रा में पाए जाते थे जिससे मिट्टी की नमी व उर्वकता बनी रहती थी। वर्तमान में यह मित्र किट प्राय विलुप्त से हो गये हैं। कृषि वर्षा पर आधारित है। क्षेत्र में बेरोजगारी व्याप्त है। महिलाएं घर व परिवार के कार्यों के साथ पशुपालन का कार्य करती हैं। फसलों हेतु कच्ची खाद का उपयोग किया जाता है जिससे फसलों में



दीमक लग जाती है, व उसकी उर्वरा शक्ति का नाम मात्र ही उपयोग हो पाता है। गोबर घर के आसपास ढेरी बनाकर डालते हैं जिससे गन्दगी फैलती है व बीमारियों फैलती है। इसी को देखते हुए मृदा वैज्ञानिक ने समय की माँग को देखते हुए और मिट्टी की उर्वरता को बचाने के लिए पुनः इस ओर सोचना प्रारंभ किया और पुरानी तकनीकी को पुनः जीवित किया। इस हेतु वर्मी कम्पोस्ट निर्माण एक सरल एवं आसान पद्धति है जिसे एक बार प्रशिक्षण पाकर जीवन पर्यन्त आसानी से उपयोग कर उत्पादन कर सकते हैं। यह खाद बहुत उर्वरक होती है उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाती है व खेतों में नमी बनाये रखती है जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है।

जैविक खाद के उत्पादन हेतु इसकी आवश्यकता, वर्मी कम्पोस्ट क्या है, केचुआ खाद के लाभ, केचुआ खाद व रसायनिक खाद में अन्तर एवं वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने पूर्व रखी जाने वाली सावधानियों के बारें में बताया।

संस्थान कोषाध्यक्ष श्री ललित माली ने वर्मीकल्चर केचुओं के अनुरक्षण एवं पालन पोषण से संबंधित जानकारी देते हुए इसकी विधियों, फायदे एवं कुछ तथ्यों के बारें में बताया। साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार महिला एवं पुरुष वर्मी कम्पोस्ट प्रक्रिया को अपना सकते हैं एवं इसके माध्यम से कम लागत द्वारा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट तैयार कर ग्रामीण इसके माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। समुदाय स्थानीय स्तर पर इस प्रक्रिया को बिना लागत लगाए यूनिट तैयार कर सकते हैं।

इसी के साथ वर्मी कम्पोस्ट यूनिट तैयार करने की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर बनाई गई यूनिट द्वारा भौतिक कार्य के रूप में प्रदर्शन कर भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी को एक—एक कर सारी प्रक्रिया के बारें में बताया गया।

संस्थान कार्यकर्ता श्री सोहन लाल मीणा से सभी प्रशिक्षणार्थी एवं प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में कुल 45 महिला पुरुषों ने भाग लिया। औषधीय पौधा का पौधारोपण कार्यक्रम के तहत औषधीय पौधे रोपे गए।

स्वयं सहायता समूह संचालन

संस्थान कार्यक्षेत्र में 5 महिला स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जा रहा है। इसके के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह गांव—सोमावत एवं ग्राम पंचायत लराठी 'बी' में पंचायत समिति खेरवाड़ा, जिला—उदयपुर में संचालित किए जा रहे हैं। समूह संचालन हेतु ग्राम स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया एवं सन्दर्भ व्यक्ति एवं सन्दर्भ सामग्री द्वारा ग्रामीण महिला—पुरुषों को तैयार किया गया साथ ही संस्थान कोषाध्यक्ष ललित माली द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए



बताया कि यदि महिलाएँ समूह बनाकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करें तो इससे होने वाली बचत से अपने जीवन में आने वाली समस्या के दौरान इस समूह की राशि से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है। साथ ही निर्मित स्वयं सहायता समूह के लेखा—जोखों के संधारण के बारें में सन्दर्भ सामग्री द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इन समूहों का प्रारंभ संस्थान द्वारा जनवरी से किया गया। इन समूहों का संचालन करने के लिए समूह स्तर पर अध्यक्ष/सचिव

/कोषाध्यक्ष को नियुक्ति किया गया है। जो इन समूहों को देख—रेख एवं लेन—देन का काम देखती है। संस्थान द्वारा छ: माह पश्चात् इन समूहों को गांव के नजदीक सरकारी बैंक द्वारा खाता खुलवा कर जोड़ दिया जायेगा।

महिला स्वयं सहायता समूह की सूची निम्न अनुसार दर्शाई जा रही है।

वर्तमान में संस्थान द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह में माह मार्च में गांव सोमावत में संचालित स्वयं सहायता समूह को इलाहाबाद बैंक, ऋषभदेव में खाता खुलवाकर जोड़ दिया गया है। जिससे अब समूह का जो भी लेन—देन होगा वह बैंक के माध्यम से होगा। जो भी राशि एकत्र होगी उसे समय—समय पर बैंक में जमा कराई जायेगी।

मासिक ग्राम बैठक

संस्थान द्वारा प्रत्येक माह कार्यक्षेत्रा ग्राम पंचायत किकावत एवं लराठी फलों स्तर पर मासिक ग्राम बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में मुख्य रूप से गांव के विकास को लेकर चर्चाएं कि गई।

गांव का विकास किस तरह स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर किया जाए पर सभी ग्रामवासियों एवं संस्थान प्रतिनिधियों द्वारा आपस में चर्चा कर कार्यों के प्रति निर्णय लेकर किया। बैठक में आपसी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए महिलाओं के विकास को लेकर कार्यक्रम एवं गतिविधियों के संचालन करने पर चर्चा की गई। गांव में सभी स्तर के प्रतिनिधि जमीनी स्तर से लेकर बालक—बालिकाओं हेतु शिक्षा एवं पर्यावरण सुधार के साथ—साथ उन्नत कृषि विकास को लेकर आपसी चर्चा की गई। समय—समय पर सरकारी कार्यक्रमों में पंचायत स्तर पर ग्रामवासियों की पूरी—पूरी भागीदारी पर जोर दिया गया। वर्तमान में चल रहे पंचायतीराज सशक्तिकरण के तहत पंचायतीराज को और अधिक मजबूतीकरण किस तरह किया जाए पर सभी ने अपनी—अपनी राय को रखा। समय—समय पर पल्स पोलियो में बालकों को पोलियो की खुराख पिलाने पर जोर दिया गया। महिलाओं को प्रजजन दौरान पूरी—पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें एवं समय पर इनका ईलाज हो सकें पर सरकारी स्वास्थ्य विभागों से सम्पर्क करने पर बल दिया गया।

प्रत्येक मासिक ग्राम बैठकों में सम्पूर्ण गांव के अधिक से अधिक महिला—पुरुषों एवं पंचायत स्तर प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

अन्य गतिविधियाँ

- संस्थान कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत समय—समय पर पल्सपोलियो अभियान के अन्तर्गत बालक—बालिकाओं को दवाई पिलाने में सहयोग प्रदान किया गया एवं घर—घर जाकर बच्चों को दवाई पिलाने हेतु उनके माता—पिता से सम्पर्क किया गया।
- टीकाकरण कार्यक्रम के तहत संस्थान कार्यकर्ता श्री सोहनलाल मीणा एवं श्री ललित खेराड़ी द्वारा गर्भवती माताओं एवं शिशुओं को घर—घर जाकर टीकाकरण की महत्वता पर जानकारी देकर लाभान्वित किया गया।

31 जनवरी 2018 को हस्तशिल्प विभाग, नई दिल्ली में निति आयोग संबंधी ए.जी.ओं के लिए डिजिटल

- रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारें में बताया गया। जिससे की स्वयं सेवी संस्थान किसी तरह से इम्पलीमेन्ट कर अपने एन.जी.ओं को किस तरह सरकारी विभागों में अपना रजिस्ट्रेशन कर परियोजनाओं को लागू कर सकती है के बारें में जानकारी प्रदान की गई।



Call us:-

 9783224366

 8107524366